

3/3/20

पत्रावली बेशुर्ई। वलुनाथ कुरीतेन उपस्थित।
 प्रार्थी। वादी द्वारा एक प्रार्थना - पत्र बेशु कर
 निवेदन किया कि कुरीतेन मुकदमा में यह
 तय हुआ है कि वादी पहले दावा उठावे, उसके
 पश्चात् बर पर कर्तव्य परिवारिक समर्थन
 से वादगत भूमि का खाता विभाजन का मसला
 तय करते तहसील कार्यालय में अपना राजस्व
 अभियान में वादगत भूमि का खाता विभाजन
 अंतिम रूप से करा लेंगे। वादी, प्रतिवादीगण
 के विरुद्ध चिरनिवेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त
 नहीं करना चाहता ताकि परस्पर प्रेमभाव और
 भरोसा काममें हो सके। अतः दावा विद्दी करने
 की अनुमति प्रदान करावे। प्रतिवादी सं. १ तथा ५
 द्वारा उपस्थित होकर इस बाबत अपनी सहमति
 प्रकट की। अतः प्रार्थी। वादी का निवेदन
 स्वीकार किया जाता है। दावा विद्दी करने की
 अनुमति प्रदान ^{की} जाती है। पत्रावली कुसल
 शुभार होकर बाह वरतीव, तकमिल हाथिल
 दफ्तर हो।

SW

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

अवगत
बि. १७१५
२५१२५

बीकानेर

